

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
॥ शुद्धि-पत्र ॥

पटना-15, दिनांक- 17.9.18

संख्या-12/प0-5001/17-सा0प्र0-12515 / विभागीय आदेश सं0-12264 दिनांक 12.09.2018 के द्वारा 15वें वित्त आयोग के राज्य परिभ्रमण के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ संपर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 01.10.2018 से 04.10.2018 तक के लिए की गई है। इस बीच वित्त विभाग, बिहार, पटना ने सूचित किया है कि 15वें वित्त आयोग का राज्य परिभ्रमण का कार्यक्रम संशोधित होकर दिनांक 30.9.2018 से 04.10.2018 तक के लिए निर्धारित हुआ है।

अतः वित्त विभाग, बिहार, पटना के अनुरोध के आलोक में 15वें वित्त आयोग के राज्य परिभ्रमण के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ संपर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अर्थात् संशोधित रूप में दिनांक 30.09.2018 से 04.10.2018 तक के लिए समझा जाय।

आदेश सं0-12264 दिनांक 12.09.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0-5001/17-सा0प्र0-12515 / पटना, दिनांक- 17.9.18

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, सभी संबंधित विभाग, बिहार, पटना/सचिव (व्यय) वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भविष्यनिधि निदेशालय, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने/सभी संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव